

“मुख्यमंत्री स्वदेशी गौ—संवर्धन योजना” हेतु आवेदन पत्र

कार्यालय के उपयोगार्थ

आवेदन संख्या—

--	--	--	--	--	--	--	--	--

दिनांक —

--	--	--	--	--	--	--	--

आवेदक द्वारा भरे जायेंगे

आवेदक
का
स्वहस्ताक्षरित
रंगीन फोटो

- 1— आवेदक का नाम —
- 2— आवेदक के पिता/पति का नाम —
- 3— शैक्षणिक योग्यता —
- 4— आधार संख्या—

--	--	--	--	--	--	--	--	--

5— उम्र — वर्ष— माह— दिन—

--

--

--

6— आवेदक का पता —

.....

.....

--

7—मोबाईल/दूरभाष संख्या—

--	--	--	--	--	--	--	--

8— आवेदक/आवेदक के परिवार के पास उपलब्ध भूमि (एकड़ में) —

9— हरा चारा उगाने हेतु कृषि योग्य उपलब्ध भूमि (एकड़ में) —

10— वर्तमान में आवेदक के पास उपलब्ध मवेशियों की संख्या—

गाय— भैंस— बछड़ा— बछिया— बैल—

--

--

--

--

--

11— गायों के नस्ल —

12— वर्तमान में आवेदक के पास कुल उत्पादित दूध की मात्रा (कि0ग्रा0 में) —

13— वर्तमान में उत्पादित दूध के लिये उपलब्ध बाजार —

14— वर्तमान में उपलब्ध सरप्लस/विक्रय योग्य दूध (कि0ग्रा0 में) —

15—आवेदक —

(i) दुग्ध समिति के सदस्य हैं—

(हॉ / नहीं)

(ii) डेरी से संबंधित प्रशिक्षण प्राप्त किये हैं—

(हॉ / नहीं)

16— निकटतम पशु चिकित्सालय की दूरी (किलोमीटर में) —.....

मैंपुत्र/पुत्री/पत्नी श्री/श्रीमती—.....

घोषणा करता/करती हूँ कि आवेदन पत्र में दी गयी जानकारी सही है तथा गलत पाये जाने पर मेरे आवेदन पत्र को रद्द कर दिया जाय।

स्थान—.....

दिनांक—.....

आवेदक का हस्ताक्षर

अनिवार्य अनुलग्नक—

(क) आधार कार्ड की स्वप्रमाणित छायाप्रति।

(ख) नोटरी शपथ पत्र— मेरे द्वारा पहले से 02 से अधिक स्वदेशी उन्नत नस्ल की गाय अथवा संकर प्रजाति की एफ-1 गाय का पालन नहीं किया जा रहा है तथा पशुपालन हेतु पर्याप्त स्थान उपलब्ध है।

**“मुख्यमंत्री स्वदेशी गौ—संवर्धन योजना” अंतर्गत अनुदान धनराशि स्वीकृत करने हेतु
आवेदन पत्र**

सेवा में,

जिला समन्वयक,
नन्द बाबा दुग्ध मिशन,
जनपद
उत्तर प्रदेश।

आवेदक का
स्वहस्ताक्षरित
रंगीन फोटो

- 1— लाभार्थी संख्या (चयन पत्र के अनुसार) —.....
2— लाभार्थी का नाम —.....
3— लाभार्थी के पिता/पति का नाम —.....
4— आधार संख्या—

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

- 5— उम्र— वर्ष— माह— दिन—

- 6— लाभार्थी का पता —.....
.....
.....
पिन—

7—मोबाईल/दूरभाष संख्या—

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

- 8— स्थापित इकाई में गाय की संख्या—
9— इकाई स्थापित करने के स्थान का पता —.....
.....

पिन—

10— इकाई स्थापना पर व्यय का विवरण—

क्र०सं०	मद	लागत धनराशि
(i)	गाय के क्रय पर व्यय	₹
(ii)	गाय के परिवहन पर व्यय	₹
(iii)	पशु ट्रांजिट बीमा पर व्यय	₹
(iv)	03 वर्षों हेतु पशु बीमा पर व्यय	₹
(v)	चारा मशीन पर व्यय	₹
(vi)	शेड निर्माण पर व्यय	₹
योग—		₹

11— इकाई स्थापना पर कुल लागत व्यय—

रुपया (अंक में) —.....
(शब्दों में) —.....

12— बैंक खाते का विवरण (जिसमें अनुदान धनराशि अवमुक्त की जानी है) —

- (i) बैंक खाता संख्या
(ii) बैंक शाखा का नाम
(iii) IFSC कोड
(iv) बैंक शाखा का पता
.....

पिन—

मैंपुत्र/पुत्री/पत्नी श्री/श्रीमती—
घोषणा करता/करती हूँ कि आवेदन पत्र में दी गयी जानकारी सही है तथा गलत पाये जाने पर मेरे आवेदन पत्र को रद्द कर दिया जाय।

स्थान—.....

दिनांक—.....

लाभार्थी का हस्ताक्षर

अनिवार्य अनुलग्नक—

- (क) गाय क्रय से सम्बन्धित रसीद की प्रति।
(ख) ट्रांजिट बीमा से सम्बन्धित अभिलेख की प्रति।
(ग) परिवहन व्यय रसीद की प्रति।
(घ) 03 वर्षों हेतु क्रियाशील पशु बीमा से सम्बन्धित अभिलेख की प्रति।
(ङ) दुग्ध उत्पादक/पशुपालक लाभार्थी के आधार कार्ड की छायाप्रति।
(च) गायों की पहचान हेतु माइक्रोचिप्स/ईयर टैगिंग सिस्टम/पहचान की किसी भी मान्यता प्राप्त प्रणाली का प्रमाण—पत्र एवं पहचान संख्या।
(छ) सम्बन्धित विकास खण्ड के पशु चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त पशु स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, जिस पर गाय की प्रजाति का स्पष्ट उल्लेख भी किया गया हो।
(ज) इस आशय का नोटरी शपथ—पत्र कि योजनान्तर्गत स्थापित इकाई से सम्बन्धित परिसम्पत्ति (गायों को सम्मिलित करते हुए) का रख—रखाव कम से कम अगले 03 वर्ष तक लाभार्थी द्वारा किया जायेगा। तीन वर्ष के पूर्व यदि परिसम्पत्ति का विक्रय अथवा अन्य किसी प्रकार से हस्तान्तरण किया जाता है, तो अनुदान की वसूली डिस्ट्रिक्ट एक्जीक्यूटिव कमेटी द्वारा कर ली जाये।
(झ) लाभार्थी के बैंक पासबुक की छायाप्रति/कैन्सिल चेक।
(ट) चयन पत्र की छायाप्रति।